छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 270/2006

प्राचार्य, ... अपीलार्थी
जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय
सक्ती, जिला–जांजगीर (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. श्री विपिन पंजाबी .... प्रतिअपीलार्थी
आत्मज श्री जी.डी. पंजाबी
अधिवक्ता,
बेलाडुला, सिंधी कालोनी
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

2. अपर संचालक, ... प्रतिअपीलार्थी
उच्च शिक्षा संचालनालय,
रायपुर (छत्तीसगढ़)

:: आदेश ::
(दिनांक 26 अक्टूबर 2006)

प्राचार्य, जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय, सक्ती के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (3) के अंतर्गत प्रथम अपीलीय अधिकारी उच्च शिक्षा संचालनालय के आदेश दिनांक 03.04.2006 से असंतुष्ट होकर आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की।

2/ प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि प्रतिअपीलार्थी श्री विपिन पंजाबी के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राचार्य जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय, सक्ती को आवेदन पत्र दिनांक 25.03.2006 (4 पत्र) के द्वारा कुछ बिंदुओं पर जानकारी चाही। प्राचार्य के द्वारा दिनांक 03.03.06 को प्रतिअपीलार्थी को सूचित किया कि उनके द्वारा मांगी गई जानकारी लोकहित से संबंधित नहीं है, अतः प्रतिलिपि दिया जाना संभव नहीं है। श्री विपिन पंजाबी के द्वारा इस संबंध में अपर संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रथम अपील प्रस्तुत की। अपीलीय अधिकारी ने पत्र दिनांक 03.04.2006 के द्वारा प्राचार्य, जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय अपीलार्थी को निर्देशित किया कि सूचना के अधिकार के अंतर्गत समय–सीमा का ध्यान रखते हुए कार्यवाही की जाकर कार्यालय को अवगत कराया जावे। अपीलार्थी ने इस आदेश के विरूद्ध आयोग के समक्ष अपील प्रस्तुत की।

3/ आयोग के द्वारा दोनों पक्षों को सुना गया। अपीलार्थी का मुख्य तर्क यह है कि प्रथम अपीलीय अधिकारी ने जन सूचना अधिकारी को सुने बिना तथा पक्ष समर्थन का

अवसर दिये बिना आदेश पारित किया है जो कि स्वाभाविक न्याय के विपरीत है। प्रतिअपीलार्थी प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा बतलाया गया कि उनके द्वारा प्रतिअपीलार्थी क्रमांक–1 को जानकारी नियमानुसार प्राप्त हो जावे, इस हेतु सद्भावनावश प्राचार्य जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय को निर्देश दिये गये। प्रकरण से यह स्पष्ट है कि अपीलीय अधिकारी ने सूचना अधिकारी जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय को बिना नोटिस जारी किये तथा बिना उनका पक्ष सुने निर्देश जारी किये हैं जो कि स्वाभाविक न्याय की प्रक्रिया के विपरीत हैं। अतः अपीलार्थी की यह अपील स्वीकार की जाती है तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वे प्रकरण में सूचना अधिकारी प्राचार्य जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय को तिथि निर्धारित कर सुनवाई का अवसर दें तथा उन्हें भी अपने पक्ष समर्थन का अवसर देकर तथा प्रतिअपीलार्थी श्री विपिन पंजाबी को भी सुनवाई का अवसर देकर समुचित आदेश पारित करें।

(ए. के. विजयवर्गीय)
मुख्य सूचना आयुक्त